

बिहार विधान सभा के चालू सत्र के लिए गैर सरकारी संकल्प

श्री मोला राय, मा० सं० वि० सं० से दि०-04.04.2013 के लिए प्राप्त गै० सं० सं० सं०-132/13

“यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिला के कदवा प्रखण्ड अंतर्गत घपरसिया पंचायत के नीनी पोखर की प्रखर जलधारा में बाढ़ की उमड़ती जल-प्रवाह के बीच आकस्मिक नाव दुर्घटना से दि०-13.08.11 को स्थानीय क्षेत्र के तीन मजदूरों की मृत्यु हो गयी, जिनका एफ० आई० आर० सं०-यूडी-केश नं०-07/11 है, मृतक परिवार के आश्रितों को आपदा सहायता राशि उपलब्ध कराने पर विचार करें ”

श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा, मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार का दिनांक -04.04.2013 को दिया जाने वाला वक्तव्य :-

वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिला के कदवा अंचल के घपरसीया पंचायत अंतर्गत निनी पोखर के धार में तेज हवा के कारण नाव पलटने से दि०-12.08.2011 को 3 व्यक्ति क्रमशः स्व० मंटू साह, स्व० सीवेन साह एवं स्व० नरेश यादव की मृत्यु हो जाने के कारण उनके वैध उत्तराधिकारी/आश्रितों को गैर प्राकृतिक आपदा का मामला होने के कारण सरकारी प्रावधानों के अनुसार 1-1 (एक -एक) लाख रू० की दर से कुल 3,00,000.00 रू० (तीन लाख) रू० का भुगतान चेक द्वारा कर दिया गया है ।

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक -04/वि० सं० गै० सं० सं०-40/2013/...../आ० प्र०, पटना-15, दि०-


प्रतिलिपि अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके ज्ञापांक -2637 दि०-9.03.2013 के क्रम में 03(तीन) प्रतियों में /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक -04/वि० सं० गै० सं० सं०-40/2013/.....¹⁴²⁸...../आ० प्र०, पटना-15, दि०- 15/4/13-

प्रतिलिपि सुश्री कविता कुमारी, आई० टी० मैनेजर, आ० प्र० विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित ।


सरकार के अवर सचिव